में 13,600 से भी अधिक तथा दिल्ली में 2800 से भी अधिक सरकारी कर्मचारियों में अपने आपको प्रवासी दर्ज कराया । केन्द्रीय सरकार तथा जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार को अगले आदेशों तक प्रवासी कर्मचारियों को छुट्टी का वेतन देने के लिये अनुदेश जारी किये गये हैं । घाटी में अनिवार्य सेवायें बनाये रखने के लिये जिन प्रवासी कर्मचारियों को वहां उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है, घाटी से अन्यत्र, रिक्तियां होने पर उन्हें समायोजित करने के लिये भी सरकार द्वारा अनुदेश जारी किये गये हैं ।

प्रवासी कर्मचारियों के लिये अलग से कोई आवास व्यवस्थायें नहीं की गई हैं तथापि, अनेक प्रवासियों को जम्मू क्षेत्र तथा दिल्ली में सरकारी भवनों, शिविरों तथा सामुदायिक केन्द्रों में ठहराया गया है ।

उन प्रवासियों के बच्चों के लिये, जो घाटी में विभिन्न व्यावसायिक तथा अन्य कालेजों में अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहते हैं, घाटी से बाहर के कालेजों में पढ़ाई जारी रखने के लिये प्रवेश देने हेतु भी अनुदेश जारी किये गये हैं । मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आर.ई.सी. श्रीनगर के प्रवासी छात्रों को अन्य राज्यों के इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश देने को अंतिम रूप दे दिया है । इसी प्रकार घाटी में से बाहर मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज तथा अन्य अनुशासन संस्थानों के छात्रों द्वारा प्रवासियों के लिये प्रबंध किये गये हैं ।

लघु औद्योगिक एककों का आधुनिकीकरण करने हेतु एक शीर्ष निकाय की स्थापना

576. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये लघु औद्योगिक एककों का आधुनिकीकरण करने हेतु एक शीर्ष निकाय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) नये निकाय के गठन से पहले खादी ग्रामोद्योग सहित मौजूदा आधारभूत ढांचे में सुधार लागने और इसका पुनर्गठन करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) लघु तथा कृषि उद्योगों के संवर्धन के लिये 30-5-1990 को सरकार द्वारा प्रस्तावित किये गये नीति संबंधी उपायों में लघु उद्योग विकास संगठन (सीडी) में एक शीर्ष प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र के अधीन औजार कक्ष, प्रक्रिया तथा उत्पाद विकास केन्द्र, परीक्षण केन्द्र आदि स्थापित करने का एक प्रस्ताव शामिल है । यह प्रस्ताव आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये कार्यक्रम आरम्भ करने की दृष्टि से किया गया है । जिसके परिणामस्वरूप लघु क्षेत्र में निर्मित उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा ।

(ग) समिति, जिसने के.वी.आई.सी. की नीतियों व कार्यक्रमों की समीक्षा की थी, की रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों में कार्य कर रहे बड़ी संख्या में कारीगरों की मदद करने के उद्देश्य से के.वी.आई.सी. अधिनियम का संशोधन किया गया है। उत्तरदायित्वों को अधिक कारगर रूप से पूरा करने के लिये के.वी.आई.सी तथा के.वी.आई. बोर्डों को मजबूत किया जायेगा । ग्रामोद्योगों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने की दृष्टि से के.वी.आई.सी. के अधीन आने वाले ग्रामोद्योगों की परिभाषा में भी संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार ऐसा कोई भी उद्योग के.वी.आई.सी. से वित्त पाने का पात्र

है। जिसमें प्रति व्यक्ति रोजगार का पूंजीगत निवेश 15,000 रु. है तथा जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।

ग्रामीण कारीगरों को उनके उत्पादों की बिक्री करने में तथा कच्चे माल की आपूर्ति करने में मदद करने के लिये केन्द्र तथा राज्यस्तरों पर विशेष विपणन संगठन बनाये जायेंगे। रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के अलावा, कारीगरों के समूहों को प्रशिक्षण सुविधायें तथा परामर्शीय सेवायें भी उपलब्ध करायी जायेंगी। लघु एवं कृषि उद्योगों के विकास के लिये अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र, राज्य तथा जिलास्तर पर मौजूदा आधारभूत सुविधाओं को पूर्णतया ठीक किया जायेगा।

Publicity to tourist-cum-pilgrim centres

577. SHRI AJIT P.K. JOGI:
KUMARI ALIA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government give publicity to our tourist-cum-pilgrim centres;

(b) if so, whether Doordarshan propose to telecast any programme on various pilgrim centres in Madhya Pradesh which are being visited by a large number of pilgrims every year; and

(c) if so, the deails thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY) (a) Yes, Sir. (b) and (c) Doordarshan has been regularly mounting programmes on places of tourist interest and pilgrimages in Madhya Pradesh, Programmes covering Ujjain, Ratnapur Bhoramaeo and Unkarawashwer in connection Kalidas Samoroh, Tansen Samoroh and Khajuraho dance festivals etc. have been telecast by Doordarshan.

मध्य प्रदेश में इलैक्ट्रोनिक उद्योग

578. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश में कुल कितने इलैक्ट्रानिक उद्योग स्थापित हैं और उन इलैक्ट्रोनिक उद्योगों में निर्मित की जा रही वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार वर्ष 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश में कुछ और इलैक्ट्रानिक उद्योगों की स्थापना करने पर विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका): (क) से (ग) मध्य प्रदेश की 41 इकाइयों ने वर्ष 1989 के दौरान विद्युत आपूर्ति, रेकिटफायर्स, कैपेसिटरों, वीडियो कैसटों/चुम्बकीय टेपों, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, टी.वी. रिसीवरों, स्विचों आदि के विनिर्माण के बारे में अपने इलैक्ट्रानिक उत्पादन से संबंधित आंकड़े इलेक्ट्रानिकी विभाग को प्रस्तुत किये हैं। केन्द्रीय सरकार इस क्षेत्र के सभी अनुमति प्रदान किये जाने वाले क्षेत्रों में पूरे देश में इलैक्ट्रानिकी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। संबंधित राज्य सरकार राज्य में सुविधायें उपलब्ध कराती हैं तथा ऐसे उद्योगों को स्थापना के लिये अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती हैं। इलेक्ट्रानिकी विभाग आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है तथा अनुमोदन जारी करने की कार्रवाई करता है। मध्य प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली इकाइयों की स्थापना के लिये अब तक 16 औद्योगिक लाइसेंस तथा 108 आशय पत्र/पंजीकरण जारी किये गये हैं।